न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–366/2019

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य...वादीगण

बनाम

सत्यनारायण साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी सं0–02 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.08.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी सं0–02 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–10 वीर यादव की मृत्यु दिनांक 27.12.2022 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–10 वीर यादव के विधिक वारिसानों में अपने पीछे पत्नी मु0 लालपरी देवी एवं एक पुत्र दिनेश यादव एवं एक पुत्री सुमन देवी को छोड कर स्वर्गवास हुये है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–10 वीर यादव का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी सं0–02 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–10 वीर यादव की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। आवेदन के समर्थन में वादी सं0–02 की ओर से शपथपत्र तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का आवेदन भी दाखिल किया गया है। वादी सं0–02 का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया है फिर भी न्यायहित में वादी सं0–02 का आवेदन दिनांक 09.08.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–366/2019

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य...वादीगण

बनाम

सत्यनारायण साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **06.12.2024**	कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–10 वीर यादव का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तदपश्चात वादी सं0–02 की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 07.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	